न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय्–सह विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), समस्तीपुर।

अंगारघाट थाना काण्ड सं0 102/20, कम्पयूटर निबंधन सं0 1360/20

24.12.20 आवेदक प्रभातर पाण्डेय उर्फ किशन की ओर से ऑनालाईजन जमानत आवेदन दाखिल किया गया। पीठा0 पदा0 अवकाश में है। दिनांक 4.12.20 वास्ते सुनवाई। (लेखापित)

प्र0अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद

4.1.21 आवेदक **1.प्रभात पाण्डेय उर्फ किशन,** जो अंगारघाट थाना काण्ड सं0 102/20, धारा–290 भा0द0वि0 एवं धारा–37(c) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 19.12.20 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उनके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसने किसी प्रकार के शराब का सेवन नही किया है। उन्हें मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराएँ उनके विरूद्व नही बनती है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह दिनांक 19.12.20 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री रामलखन राय के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त के विरूद्व धारा–290 भा0द0वि0 एवं धारा–37(c) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त के विरूद्व शराब पीकर घटनास्थल पर गाली–गलौज एवं हंगामा करने का आरोप है जिसका सूचक द्वारा ब्रेथ एनालाईजर से जॉच करने पर उसका बी0ए0सी0 39एम0जी0/100एम0एल0 पाया गया। आवेदक दिनांक 19.12.20 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की प्रकृति एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त **1.प्रभात पाण्डेय उर्फ किशन क**ो मो0 10,000/–रू0(दस हजार) रू0 के बंद्व–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है, कि आवेदक अभियुक्त इस आशय का वचन–पत्र दाखिल करेगा, कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा।

(लेखापित)

अपर सत्र न्या02
सह वि0 न्या0उत्पाद